हो जिससे उनकी सुरक्षा हो सके, उनके अधिकारों की सुरक्षा हों सके, यही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद

LARGE SCALE RETRENCHMENT OF EMPLOYEES OF ANDAMAN AND NICOBAR STATE ELECTRICITY BOARD AND PITIABLE CONDITION OF THEIR FAMILIES.

श्री विष्णु कान्त शास्त्री (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं इस सदन का और सरकार का ध्यान एक बहुत गंभीर समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। महोदय, अंडमान और निकोबार द्वीप पुंज के विघुत विभाग के कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर, बहुत ही अन्यायपूर्ण ढंग से छंटनी कर दी गई हैं और वे तथा उनके परिवार के लोग करीब-करीब आज भुखमरी की स्थिति में पहुंच गए हैं। महोदय, अंडमान-निकोबार द्वीप पुंज के विघुत विभाग ने 1.4.97 को 511 कर्मचारियों की छंटनी कर दी, छंटनी से पूर्व इन कर्मचारियों को कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही इंडस्टियल डिस्प्यट एक्ट के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई ही की गई। यह बहुत ही खेद की बात हैं कि प्रशासन ने इस संदर्भ में कर्मचारियों के हितों की बिल्कुल अनदेखी कर दी। इस कार्रवाई के कारण ये अभागे कर्मचारी आज अकालग्रस्त भुखमरों की स्थिति में पहुंच गए हैं। अंडमान-निकोबार में इस तरह की यह पहली दुखद घटना हैं। इनमें से अधिकांश कर्मचारी छंटनी के दिन तक 240 दिनों से अधिक दिनों तक सेवारत् रहे। प्रचालित कानूनों के अनुसार इन कर्मचारियों की अस्थायी कर्मचारी की स्थिति प्रदान की जानी चाहिए थी। अतः यह छंटनी न केवल अनैतिक हैं , बल्कि कानून के विरूद्व हैं। मैं इस बात पर भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि अंडमान-निकोबार में कोई विशेष उघोग धंधा नहीं हैं। वहां रोजगार की व्यवस्था अथवा नौकरी मुख्यतः सरकार व सरकारी संस्थाओं द्वारा ही प्रदान की जाती हैं। इसलिए अगर स्वयं सरकार की एक संस्था इस प्रकार का गलत कदम उठाए तो यह बहुत ही चिंता का विषय बन जाता हैं। विघुत कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने कई बार सरकारी अधिकारियों से अनुरोध किया हैं कि इस गैर-कानूनी छंटनी को रद्द किया जाना चाहिए लेकिन उन आधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। फलतः वे कर्मचारी अब आंदोलन करने के लिए विवश हो गए हैं। महोदय, 5.6.97 से विघुत कर्मचारी संघ के नेत्त्व में ये कर्मचारी बारी-बारी से अनशन कर रहे हैं। दिनों-दिन उनके परिवारों की हालत दयनीय होती जा रही हैं। अतः मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से और विशेषतः माननीय विघुत मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और इन अभागे कर्मचारियों को पुनर्नियुक्त करके न्याय की रक्षा करें। मैं समझता हूं कि इन कर्मचारियों की दयनीय स्थिति को ध्यान में रखकर हमारी सरकार और मुख्यतः केन्द्रीय विघुत मंत्री महोदय शीघ्र ही इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाएंगे। धन्यवाद।

STATEMENT BY MINISTER

Presidential and Vice-Presidential Elections (Amendment) ordinance, 1997

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER (SHRI YOGINDER K. ALAGH): Sir, on behalf of my colleague, Shri Ramakant D. Khalap, I beg to lay on the Table a statement (in English and Hindi) explaining the circumstances which had necessitated immediate legislation by the Presidential and Vice-Presidential Elections (Amendment) Ordinance, 1997. [Pleaced in Library, *see UT* No. 2368/97]

THE PRESIDENTIAL AND VICE-PRESIDENTIAL ELECTIONS (AMENDMENT) BILL, 1997

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER (SHRI YOGINDER K. ALAGH): Sir, on behalf of my colleague, Shri Ramakant D. Khalap, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Presidential and Vice-Presidential Elections Act. 19^7